

उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0,
सेतु भवन, 16, मदन मोहन मालवीय मार्ग लखनऊ—226001.

विज्ञप्ति संख्या: 346 ईएसबी/2/1290एसबीसी/2014 दिनांक 06—08—2014

उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 में निम्नानुसार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान/ ग्रेड पे (रूपये में)	रिक्तियों का विवरण					
			सामान्य	अन्य पिछ़ड़ा वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जाति	जन जाति	योग
1.	कम्पनी सचिव	15600—39100/- ग्रेड वेतन 7600/-	01	—	—	—	—	01
2.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	15600—39100/- ग्रेड वेतन 6600/-	03	—	—	—	—	03
3.	आशुलिपिक	5200—20200 ग्रेड वेतन 2800/-	12	02	01	01	01	16
4.	लेखा लिपिक	5200—20200 ग्रेड वेतन 2000/-	06	04	—	—	—	10
5.	कार्यालय सहायक ग्रेड-2	5200—20200 ग्रेड वेतन 2000/-	01	07	05	—	—	13

रिक्तियों की कुल /वर्गीकरण संख्या आवश्यकतानुसार घटायी बढ़ायी जा सकती है।

(अ) अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएः—

कम्पनी सचिव:-

ए0सी0एस0 सर्टिफिकेट के साथ 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक को वरीयता दी जायेगी।

वरिष्ठ लेखाधिकारी:-

सी0ए0 / आई0सी0डब्ल्यूए0 का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।

लेखा लिपिक:-

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक होना अनिवार्य है। |

कार्यालय सहायक ग्रेड-2:-

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसायटी द्वारा प्रदत्त 'सी0सी0सी0' प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र तथा हिन्दी व अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25 / 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति होना अनिवार्य है।

आशुलिपिक:-

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसायटी द्वारा प्रदत्त 'सी0सी0सी0' प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र तथा हिन्दी व अंग्रेजी में कम से कम क्रमशः 25 / 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति तथा हिन्दी व अंग्रेजी में आशु लेखन में कम से कमशः 80 / 100 शब्द प्रति मिनट की गति होना अनिवार्य है।

(ब) आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूटः-

सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों ने दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। यह छूट केवल ७० प्र० के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी। ७० प्र० के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। किसी भी प्रकरण में आयु हेतु मात्र एक ही छूट अनुमन्य होगी।

(स) चयन प्रक्रिया:-

क्र	पदनाम	प्रक्रिया का विवरण								
1	कम्पनी सचिव	साक्षात्कार								
2	वरिष्ठ लेखाधिकारी	साक्षात्कार								
3	आशुलिपिक	प्रथम चरण - श्रेष्ठता सूची का निर्धारण द्वितीय चरण - टंकण (का.स.ग्रेड-2 हेतु) / टंकण एवं आशु० (आशुलिपिक हेतु) परीक्षा (अर्हकारी प्रकृति की होगी)								
4	कार्यालय सहायक ग्रेड-2	तृतीय चरण - साक्षात्कार नोट:- (1) चयन के लिए कुल प्राप्तांक 100 होंगे जिसमें श्रेष्ठता सूची हेतु 80 अंक तथा साक्षात्कार हेतु 20 अंक होंगे। (2) श्रेष्ठता सूची के निर्धारण हेतु प्रत्येक अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर निम्नानुसार अंक दिये जायेंगे:- <table border="1"><thead><tr><th>क्र.</th><th>शैक्षिक योग्यता</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>हाई स्कूल परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत का 15%</td></tr><tr><td>2</td><td>इन्टरमीडिएट परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत का 15%</td></tr><tr><td>3</td><td>स्नातक परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत का 50%</td></tr></tbody></table> (3) उपरोक्तानुसार निर्धारित श्रेष्ठता सूची में से भरे जाने वाले पदों की संख्या के अधिकतम 10 गुना अभ्यर्थियों को टंकण / टंकण एवं आशुलेखन परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। टंकण / आशुलिपि परीक्षा - कम्प्यूटर पर होगी। (4) टंकण / आशु० परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों की संख्या के तीन गुना से कम होने पर निर्धारित श्रेष्ठता सूची में से अन्य अभ्यर्थियों को वरीयता के कम में टंकण / आशु० परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। (5) टंकण / आशु० परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। (6) श्रेष्ठता सूची के प्राप्तांकों एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। (7) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।	क्र.	शैक्षिक योग्यता	1	हाई स्कूल परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत का 15%	2	इन्टरमीडिएट परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत का 15%	3	स्नातक परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत का 50%
क्र.	शैक्षिक योग्यता									
1	हाई स्कूल परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत का 15%									
2	इन्टरमीडिएट परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत का 15%									
3	स्नातक परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत का 50%									

5	लेखालिपिक	<p>प्रथम चरण – श्रेष्ठता सूची का निर्धारण</p> <p>द्वितीय चरण— साक्षात्कार</p> <p>नोट:-</p> <p>(1) चयन के लिए कुल प्राप्तांक 100 होंगे, जिसमें श्रेष्ठता सूची हेतु 80 अंक तथा साक्षात्कार हेतु 20 अंक होंगे ।</p> <p>(2) श्रेष्ठता सूची के निर्धारण हेतु प्रत्येक अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर निम्नानुसार अंक दिये जायेंगे :—</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">क्र. सं.</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">शैक्षिक योग्यता</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">हाई स्कूल परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत का 15%</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">इन्टरमीडिएट परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत का 15%</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">स्नातक(वाणिज्य) में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत का 50%</td></tr> </tbody> </table> <p>(3) श्रेष्ठता सूची के निर्धारण के पश्चात अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा । साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या रिक्त पदों की संख्या की चार गुना होगी ।</p> <p>(4) श्रेष्ठता सूची के प्राप्तांकों एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी ।</p> <p>(5) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा ।</p>	क्र. सं.	शैक्षिक योग्यता	1	हाई स्कूल परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत का 15%	2	इन्टरमीडिएट परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत का 15%	3	स्नातक(वाणिज्य) में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत का 50%
क्र. सं.	शैक्षिक योग्यता									
1	हाई स्कूल परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत का 15%									
2	इन्टरमीडिएट परीक्षा में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत का 15%									
3	स्नातक(वाणिज्य) में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत का 50%									

(द) आवेदन शुल्कः—

आवेदन शुल्क कम्पनी सचिव पद हेतु रु0 1500/-, वरिष्ठ लेखाधिकारी पद हेतु रु0 1000/- तथा लेखा लिपिक, कार्यालय सहायक ग्रेड-2 एवं आशुलिपिक के पदों हेतु सामान्य श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रु0 500/- एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रु0 250/- के डिमान्ड ड्राफ्ट “यू० पी० स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लि�०” के पक्ष में लखनऊ पर देय होना चाहिए। डिमान्ड ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी द्वारा अपना नाम, पिता का नाम तथा पता अंकित करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं किया जायेगा ।

(य) आवेदन पत्र भरे जाने सम्बन्धी निर्देशः—

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप को सेतु निगम की वेबसाईट से डाउन लोड करके नीली स्याही से भरा जायेगा। आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साइज का स्वप्रमाणित फोटो चिपकाये जाने के उपरान्त एक अतिरिक्त स्वप्रमाणित फोटो, शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, तथा आरक्षित वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्रों एवं अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्रों यदि कोई हो की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र, महा प्रबन्धक (मुख्यालय), उ० प्र० राज्य सेतु निगम लि०, १६, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ पिन-२२६००१ के पते पर केवल स्पीड पोस्ट द्वारा विलम्बतम दिनांक ३०-०८-२०१४ तक प्राप्त हो जाना चाहिए। दिनांक ३०-०८-२०१४ के पश्चात प्राप्त होने वाला आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। अपूर्ण अथवा त्रूटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(र) महत्वपूर्ण:-

कम्पनी सचिव, कार्यालय सहायक ग्रेड-2 तथा आशुलिपिक के पदनामों एवं अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता सेतु निगम के निदेशक मण्डल की संस्तुति के अनुरूप है।

आवश्यक निर्देशः-

1. अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. सरकारी विभाग / निगम में कार्यरत अभ्यर्थी अपने नियोक्ता के माध्यम से ही आवेदन करें। ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व, अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 22/16/92-टी०सी०-111/का-2/2002 कार्मिक अनुभाग/2 दिनांक 22 अक्टूबर 2002 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो, ही मान्य होगा।
5. आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में “उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि० में _____ के पद पर भर्ती हेतु आवेदन” अवश्य लिखें।
6. आवेदन पत्र के साथ पत्राचार हेतु पता लिखें हुए दो लिफाफे (10 x 23) से०मी० साईज के जिन पर डाक टिकट रु० 40/- लगे हों स्पीड पोस्ट हेतु संलग्न किये जायें।
7. भर्ती प्रक्रिया से संबंधित साक्षात्कार / टंकण टेरस्ट / आशुलेखन परीक्षा की सूचना अभ्यर्थियों को दिये गये पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा दी जायेगी।
8. टंकण एवं आशुलेखन परीक्षा, साक्षात्कार एवं चयन के सम्बन्ध में चयन समिति / नियोक्ता का निर्णय अन्तिम होगा।
9. साक्षात्कार / टंकण / आशुलेखन परीक्षा के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. विज्ञापन में किसी भी प्रकार की प्रकाशन त्रुटि के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा। निगम का मूल विज्ञापन हीं मान्य होगा।
11. ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा अभ्यर्थी को उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी गयी हो।
12. अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोग विचाराधीन होने अथवा अभ्यर्थी के सजायापता होने की सूचना अभ्यर्थी द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा।
13. एक से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु पृथक आवेदन पत्र पृथक शुल्क सहित प्रेषित करने होंगे।
14. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दिया गया विवरण सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को समस्त चयन / परीक्षा से निष्कासित किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
15. अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार के समय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षिक अहर्ता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र एवं अंकतालिका, चरित्र

प्रमाण पत्र, अन्य विभाग में कार्यरत होने की दशा में नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र, विकलांग होने की दशा में मेडिकल सर्टिफिकेट मूलरूप में प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा तथा अनुपयुक्त मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

16. किसी भी विवाद की दशा में प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्र, लखनऊ होगा।
17. नियुक्त अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह बिना कारण बताये प्राप्त आवेदन पत्रों में से किसी एक अथवा सभी आवेदन पत्रों को निरस्त कर दें।
18. सीधी भर्ती के सम्बन्ध में अन्य जानकारियों उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 की वेबसाईट www.bridgecorporationltd.com पर उपलब्ध रहेगी।




प्रबन्ध निदेशक

आवेदन पत्र का प्रारूप

1.	आवेदित पद का नाम.....	तिथि सहित चिपकाए
2.	अभ्यर्थी का पूरा नाम (1)(हिन्दी में) (2)(अंग्रेजी में).....	
3.	पिता/पति का नाम.....	
4.	जन्मतिथि(हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार).....	
5.	दिनांक 01 जनवरी, 2014 को आयु.....वर्ष.....माह.....दिन	
6.	जाति———(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न किया जाये)	
7.	विकलांगता (यदि हो) श्रेणी..... (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न किया जाये)	
8.	वैवाहिक स्थिति	विवाहित/अविवाहित.....
9.	गृह जनपद.....	
9.	स्थायी पता.....	
10.	पत्र व्यवहार का पता (दूरभाष/मोबाइल नं० सहित).....	
11.	राष्ट्रीयता.....	
12.	यदि आप सरकारी/अर्द्धसरकारी/केन्द्रीय सेवा में कार्यरत हैं तो नियोक्ता का नाम व पता (आवेदन पत्र उचित माध्यम से भेजा जाये).....	
13.	आवेदन शुल्क का विवरण: (1) बैंक का नाम:..... (3) धनराशि..... (4) डिमाण्ड ड्राफ्ट नं०.....	(2) दिनांक.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (प्रथम पृष्ठ)

14. शैक्षिक योग्यता

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/ संस्था/ विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्रस्ताँक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
01	हाई स्कूल						
02	इण्टरमीडिएट						
03	स्नातक						
04	परास्नातक						
05	अन्य						

15. अनुभवः—

क्र.सं.	नियोक्ता का नाम	धारित पद	धारित पद पर वेतनमान व आहरित वेतन	कार्यरत अवधि	संस्था/विभाग छोड़ने का कारण
1	2	3	4	5	6

16. अन्य विवरण यदि कोई हो
17. संलग्न अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की सूची।

1—

2—

3—

4—

घोषणा पत्र

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने आवेदित पद हेतु पात्रता की समस्त शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ी हैं एवं मुझे मान्य है। इस आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण/सूचनाएं सही हैं एवं मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। कोई भी विवरण/सूचनाएं असत्य अथवा गलत पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। नियुक्त के उपरान्त भी यदि मेरे विरुद्ध कोई भी तथ्य प्रकाश में आता है तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जायें।

दिनांक:

स्थान:

.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर